| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 22.03.2023 | **वाद संख्या–07 / 2023**<br><br>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।<br><br>जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ ने भी इस बात को माना की शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप सही हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि पीछे से अनाज की उपलब्धता नहीं होने के कारण लाभुकों को अनाज उपलब्ध नहीं कराया जा सका। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के ऐसे वक्तव्य को स्वीकार नहीं कर सकता। खाद्य आयोग की ये वैधानिक जिम्मेवारी है कि हर लाभुक को उनकी अहर्ता के अनुरूप राशन उपलब्ध कराया जाय। आयोग अधिकारी एवं पदाधिकारियों तथा तकनीकी दिक्कतो पर गौर नहीं कर सकता। इस पर गौर करने की जिम्मवारी संबंधित पदाधिकारी और विभाग की है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि जितने लाभुकों को राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है उन्हें उनकी अहर्ता के अनुसार राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और पिछला बकाया राशन मुआवजे के साथ उपलब्ध कराएं। NFSA अधिनियम में बतौर मुआवजा पिछले अवधि के उपलब्ध नहीं कराये गये राशन का सवा गुणा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सभी लाभुकों को अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत निर्धारित हर्जाना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत् वैधानिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। आयोग के आज के आदेश के अनुपालन का प्रमाण 15 दिनों के अन्दर जिला आपूर्ति पदाधिकारी आयोग को उपलब्ध कराऐं।<br><br>मामले को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–19.04.2023 को निर्धारित की जाती है।<br><br>आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें।<br><br>**(शबनम परवीन)**<br>सदस्य,<br>झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>**(हिमांशु शेखर चौधरी)**<br>अध्यक्ष,<br>झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। | |